निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 126 / 2024
दायरा दिनांकः– 27.09.2024
निर्णय दिनांकः– 01.10.24

उनवान

1. कुसुमलता पत्नी देवेन्द्र जाति महाजन निवासी छबडा
2. गोविन्द कुमार पुत्र सुरेश कुमार जाति धाकड निवासी छबडा
3. देवेन्द्र कुमार बंसल पुत्र मोहनलाल जाति महाजन निवासी छबडा
4. रजनी गेरा पत्नी चंद्रप्रकाश गेरा जाति खत्री निवासी छबडा
5. सरीता सिंघवी पत्नी अजय सिंघवी जाति महाजन निवासी छबडा
6. भव्य गेरा पुत्र चंद्रप्रकाश गेरा जाति पंजाबी निवासी छबडा
7. चंद्रप्रकाश गेरा पुत्र रमेशचंद गेरा जाति पंजाबी निवासी छबडा तहसील छबडा जिला बारां राज.

बनाम

सरकार जर्ये तहसीलदार छबड़ा जिला बारा (राज0)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 91ए आर0टी0एक्ट0 एवं
धारा 136 एलआर एक्ट
निर्णय दिनांकः– 01.10.24

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री राकेश कुमार गालव -- वादी
2. पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 91ए आर.टी.ए एवं धारा 136 एलआर एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि खाता संख्या 193 की खसरा नं. 228 रकबा 0.4679 हैक्टेयर, खसरा नं. 229 रकबा 3.6927 हैक्टेयर, खसरा नं. 230 रकबा 1.0749 हैक्टेयर कुल किता तीन रकबा 5.2355 है. भूमि वाके ग्राम रींछडा तहसील छबडा में वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त वर्णित भूमियात में खातेदार के रूप में वादीगण क्रम 1 ता 5 का नाम दर्ज है। लेकिन साथ में माफियात रिज्यूमशन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। खातेदार नंदकिशोर सिंह पुत्र रितूसिंह जाति राजपूति निवासी बल्लभबाडी कोटा ने उक्त वर्णित भूमि में अपने सम्पूर्ण हिस्से मे से 1/2 वादी क्रम 6 भव्य गेरा के पक्ष में जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.02.2022 को बेचान कर दी है। जो पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 182 में पृष्ठ संख्या 135 क्रम संख्या 202203335100276 पर पंजीबद्ध किया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 711 के पृष्ठ संख्या 146 से 153 पर चस्पा किया गया। इसी प्रकार खातेदार नंदकिशोर सिंह ने उक्त वर्णित भूमियात में अपने संपूर्ण हिस्से मे से 1/2 वादी क्रम 7 चंद्रप्रकाश गेरा के पक्ष में जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र

उप ..ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

दिनांक 02.02.2022 को बेचान कर दी है। जो पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 182 में पृष्ठ संख्या 136 क्रम संख्या 202203335100277 पर पंजीबद्ध किया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 711 के पृष्ठ संख्या 154 से 161 पर चस्पा किया गया। उक्त भूमियात के साथ माफियात रिज्यूमशन का अंकन होने से वादी क्रम 6 व 7 के नाम नामान्तरण नहीं खुल सका है। उक्त भूमियात में से माफियात रिज्यूमशन का अंकन हटवाकर नामान्तरण खुलवाने के वादी क्रम 6 व 7 कानूनन अधिकारी है। राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 के प्रावधानों के अन्तर्गत माफी की जमीनों पर कानूनन खातेदारी अधिकार प्रदान किए जा चुके है। इस कारण अब राजस्व रिकॉर्ड में ''माफियात रिज्यूमशन'' एक अनावश्यक अंकन है। राजस्व रिकार्ड में पहले ''माफियात'' का अंकन होता था। इस एक्ट के प्रावधान लागू होने पर माफियात रिज्यूम हो गई तो '' माफियात रिज्यूमशन'' के नोट लगा दिए गए थे। जिन्हे राजस्व रिकार्ड जमाबंदी आदि मे हटाया जाना आवश्यक है। उक्त वर्णित भूमियात के राजस्व रिकार्ड में वादीगण खातेदार के नाम के साथ माफियात रिज्यूमशन दर्ज होने से वादीगण उक्त भूमि को किसी प्रकार से उन्नत नहीं कर पा रहे है तथा राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का भी लाभ नहीं ले पा रहे है। जिससे वादीगण को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड रहा है। उक्त वर्णित भूमि में पूर्व से माफियात रिज्यूमशन शब्द दर्ज नहीं था, लेकिन बाद में माफियात रिज्यूमशन शब्द दर्ज कर दिया है। अतः वादीगण अपने नाम के साथ राजस्व रिकॉर्ड में अंकित माफियात रिज्यूमशन शब्द को हटवाने का कानूनन अधिकारी है। वाद कारण दिनांक 24.09.2024 को पैदा हुआ, जब वादीगण प्रतिवादी के यहां माफियात रिज्यूमशन शब्द हटवाने गए तो प्रतिवादी ने माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने को कहा और नाम हटाने से मना कर दिया। अतः यही दिनांक बिनायदावा कायम की जाती है। वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री सादिर फरमाई जावे कि खाता सं. 193 की खसरा नं. 228 रकबा 0.4679 हैक्टेयर, खसरा नं. 229 रकबा 3.6927 हैक्टेयर, खसरा नं. 230 रकबा 1.0749 हैक्टेयर कुल किता तीन रकबा 5.2355 है. भूमि वाके ग्रम रींछडा तह. छबडा में वादीगण के नाम के साथ अंकित शब्द माफियात रिज्यूमशन राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किए जाने का आदेश प्रतिवादी के नाम प्रदान किया जावे। उक्त वर्णित भूमियात से माफियात रिज्यूमशन का अंकन हटने के बाद वादी क्रम 6 व 7 के नाम नामांतकरण खोलने के लिए प्रतिवादी के नाम आदेश प्रदान करे। अन्य न्यायोचित सहायता वादी के पक्ष में प्रदान की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट प्राप्त हुई। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नोटिस 80 सीपीसी प्रदर्श–1, शिकायती प्रार्थना पत्र प्रदर्श–2, नकल जमाबन्दी ग्राम रीछडा सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 193 प्रदर्श–3, विक्रय पत्र दिनांक 02.02.2022 प्रदर्श–4, विक्रय पत्र दिनांक 02.02.2022 प्रदर्श–5 एवं प्रार्थीगण के आधार कार्ड की प्रति पेश की गई है। साक्ष्य वादी में देवेन्द्र कुमार, गोविन्द कुमार, चन्द्रप्रकाश, कुसुमलता, रजनीगेरा का शपथ पत्र पेश हुआ।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम रीछडा तहसील छबडा में स्थित है। जो वादीगण के नाम दर्ज चली आ रही है। जिस पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है उक्त वर्णित आराजी पर जमाबन्दी में वादीगण के नाम के साथ माफियात रिज्यूमशन दर्ज है जिससे वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

C:\Users\ADMIN\Downloads\Rambabu ji fesla file Dava.docx

उक्त भूमि को किसी प्रकार से उन्नत नहीं कर पा रहे है तथा राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का भी लाभ नहीं ले पा रहे है। जिससे वादीगण को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड रहा है। उक्त भूमियात के साथ माफियात रिज्यूमशन का अंकन होने से वादी क्रम 6 व 7 के नाम नामान्तरण नहीं खुल रहा है। खातें में रिज्यूमशन दर्ज होने के कारण वादीगण को परेशानियों का सामना करना पड रहा है। वादी अभिभाषक ने जागीरदारी एक्ट की धारा 9 एवं आर0टी0एक्ट की धारा 15 का उद्धरण करते हुए निवेदन किया की प्रार्थी विधिक खातेदार कृषक है। वादी के खाते से रिज्यूमशन हटाया जाना अति आवश्यक है वादी का वाद स्वीकार किया जावे।

तहसीलदार छबडा से इसके सम्बन्ध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि ग्राम रीछडा के खाता संख्या 193 के खसरा नं. 228, 229 230 कुल किता तीन रकबा 5.2355 हैक्टेयर भूमि पर माफियात रिज्यूम शब्द राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। कुसमलता पत्नि देवेन्द्र जाति महाजन निवासी छबडा का कब्जा काश्त है। सम्वत 2012–31 सेटलमेन्ट जमाबंदी खाता संख्या 74 खसरा नं. 228 रकबा 0.4679 हैक्टेयर किस्म बंजड खसरा नं. 229 रकबा 3.6926 हैक्टेयर किस्म बंजड, खसरा नं. 230 रकबा 1.074 हैक्टेयर किस्म बंजड, खसरा नं. 301 रकबा 1.087 हैक्टेयर किस्म माल सोयम कुल किता 4 रकबा 25 बीघा भूमि पर माफी रिज्यूम शब्द लगा हुआ है। जिसका खातेदार माफी अहमदखां वल्द छोटे खां जाति मुसलमान सा. छबडा के नाम दर्ज है। नामा. नं. 202 दिनांक 28.04.1982 से मृतक अहमदखां के स्थान पर वारिस अ.हमीद खां के नाम खाता दर्ज है व नामा. सं. 350 से खसरा नं. 301 रकबा 1.087 हैक्टयर भूमि सम्पूर्ण पर नवनीत पुत्र केशरीमल जाति ओसवाल के नाम दर्ज है। सेटलमेन्ट से 2012 व 2032–38 व 2039 से 2063 उक्त आराजी भूमि पर अ. हमीद खां पुत्र अहमद खा जाति मुसलमान का कब्जा काश्त है। जमाबंदी सम्वत 2068–71 नामा. नं. 781 दिनांक 30.04. 2014 से मृतक हमीद खां के स्थान पर वारिस आबिद खान, साजिद खान पुत्र अंजुम जहां, नजमा, नूरजहां व सरवर जहां बेवा हमीद खा का नाम खाते दर्ज हुआ। नामा. सं. 786 दिनांक 12.05.2015 से बेचान समस्त खातेदारों ने अपना अपने हिस्से मे से 1/4 पर नंदकिशोर पुत्र रितुसिंह जाति राजपूत नाम दर्ज हुआ। नामान्तरण सं. 787 दिनांक 12.05. 2015 से जर्ये बेचान खातेदार आबिद खान, साजिद खान, अंजुम, नूरजहां, सरवर जहां, अपने हिस्से 1/4 क्रेता पंकज कुमार पुत्र जमनालाल जाति पंजाबी। नामा. नं. 792 दिनांक 12.05.15 जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से आबिद खान, साजिद खान, अंजूम, नजमा, सरवर जहां ने अपने हिस्से 1/4 पर क्रेता वैदिका जिन्दल पत्नी दिपक कुमार जिन्दल जाति महाजन, सोनू शर्मा पत्नी ओमप्रकाश शर्मा जाति ब्राहम्ण सा. छबडा के नाम दर्ज हुआ। नामा. सं. 797 दिनांक 12.05.15 जर्ये रजिस्टर्ड खातेदार आबिद खान, साजिद खान, अंजूम, नजमा, सरवर जहां अपने हिस्से 1/4 क्रेता चन्द्रप्रकाश गेरा पुत्र रमेश चन्द्र गेरा, रजनी गेरा पत्नी चन्द्र प्रकाश गेरा जाति खत्री सा. छबडा के नाम दर्ज हुआ । नामा. सं. 878 दिनांक 24.06.16 जर्ये रजिस्टर्ड वैदिका जिन्दल ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/8 गोविन्द कुमार पुत्र सुरेश कुमार जाति धाकड सा. छबडा के नाम दर्ज हुआ। नामा. सं. 888 दिनांक 21.06.16 जर्ये बेचान सोनू शर्मा ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/8 क्रेता सरिता सिंघवी पत्नी अजय सिंह सिंघवी जाति महाजन सा. छबडा के नाम दर्ज हुआ। नामा. सं. 910 दिनांक 17.09.18 जर्ये बेचान चन्द्रप्रकाश गेरा हिस्सा 1/8 पर क्रेता देवेन्द्र कुमार बंसल पुत्र मोहनलाल जाति महाजन सा. छबडा के नाम दर्ज हुआ ।नामा. सं. 1021 दिनांक 12.01.2022 जर्ये बेचान पंकज कुमार आहूजा के हिस्से 1/8 पर कुसमलता पत्नी देवेन्द्र कुमार जाति महाजन सा. छबडा के नाम दर्ज खाते हुआ। नामा सं. 1022 दिनांक 12.01.2022 जर्ये बेचान पंकज कुमार आहूजा का हिस्सा 1/8 पर क्रेता रजनी

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

गेरा पत्नी चन्द्रप्रकाश गेरा जाति खत्री सा. छबडा के नाम दर्ज हुआ। तभी से इस आराजी पर कुसुमलता पत्नि देवेन्द्र जाति महाजन वगै. (वादीगण) का कब्जा चला आ रहा है। उक्त आराजी भूमि पर सम्वत 2012–31 व आदिनांक तक एस.सी./एस.टी. का कब्जा नहीं रहा व न ही खाते दर्ज है। सेटलमेंट से जमाबंदी सम्वत 2012–31 से सम्वत 2080 तक उक्त आराजी भूमि पर माफी रिज्युमेशन शब्द लगा हुआ है। जिसके कारण काश्तकार को रहन, अन्तरण आदि में व्यवहारिक समस्याओं का सामना करना पडता है। खातेदारों के हित मे उक्त आराजी से नियमानुसार माफी रिज्यूम हटाया जाना उचित होगा।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम रीछडा सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 193 में खातेदार वादी क्रम 1 ता 5 एवं नन्द किशोरसिंह पुत्र रितुसिंह हिस्सा 1/4 निवासी बल्लभबाडी कोटा के नाम के साथ माफियात रिज्यूमशन दर्ज रिकार्ड है। वादीगण के खाते में रिज्यूम दर्ज होने से वादीगण को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड रहा है। खातेदार नंदकिशोर सिंह पुत्र रितूसिंह जाति राजपूति निवासी बल्लभबाडी कोटा ने उक्त वर्णित भूमि में अपने सम्पूर्ण हिस्से मे से 1/2 वादी क्रम 6 भव्य गेरा के पक्ष में एवं संपूर्ण हिस्से मे से 1/2 वादी क्रम 7 चंद्रप्रकाश गेरा के पक्ष में जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.02.2022 को बेचान कर दी है। उक्त भूमि में माफियात रिज्यूमशन दर्ज होने से नामान्तरकरण वादी क्रम 6 व 7 के नाम नही खुला है।

संवत 2012 से 2080 तक उक्त आराजी का खातेदारों के बीच लगातार बेचान/स्थानातंरण हुआ है। अर्थात उक्त भूमि का माफीयात रिज्यूमेशन मे दर्ज खातेदारों के द्वारा विधिक बेचान/स्थानातंरण हुआ है। एवं इसी आधार पर नामान्तरण दर्ज हुये है, परन्तु वर्तमान मे नामांतरण की प्रक्रिया ऑनलाईन होने के कारण नामान्तरण खोलने की समस्या आ रही है एवं रिकॉर्ड दुरस्त नहीं हो पा रहा है। प्रस्तुत विक्रय पत्र के आधार पर खातेदार नंदकिशोर सिंह पुत्र रितूसिंह ने अपनी सम्पूर्ण भूमि का बेचान कर दिया है। तथा प्रार्थीगण 6 एवं 7 विधिक रूप से नामान्तरण खुलवाने के अधिकारी है।

इस वाद को निर्णित करने हेतु यहां जागीरदारी एक्ट की धारा 9 एवं आ0टी0एक्ट की धारा 15 विचारणीय है :–

जागीरदारी एक्ट की धारा–9 :– "जागीर भूमि के प्रत्येक काश्तकार को जो अधिनियम के प्रारम्भ के समय राजस्व अभिलेखों में एक खातेदार,पट्टेदार,खादिमदार के रूप में या की अन्य रूप में जिसमें यहां अन्तहित हो कि काश्तकार को काश्तकारी में आनुवंशिक और पूर्ण अन्त के अधिकार प्राप्त है,दर्ज है। ऐसे अधिकार प्राप्त रहेगें और वह ऐसी भूमि के सम्बन्ध में खातेदार काश्तकार कहलायेगा "

आ0टी0एक्ट की धारा–15 :– प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय भूमि के शिकमी आसामी या खुदकाश्त के आसामी के अलावा अन्य प्रकार का आसामी हो या जो, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् शिकमी आसामी या खुदकाश्त के आसामी या राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 101 के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन तथा उनके अनुसरण में भूमि का आवंटिती के अतिरिक्त आसामी की हैसियत से प्रविष्ट कर लिया जाय अथवा जो इस अधिनियम के या राजस्थान लैण्ड रिफार्म्स एण्ड रिज्युमशन ऑफ जागीर्स एक्ट 1952 (राज. एक्ट 6, सन् 1952) के अथवा तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि के उपबन्धों के अनुसरण में भूमि खातेदारी अधिकार अर्जित करता है खातेदार आसामी होगा, और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहतें हुए इस अधिनियम द्वारा खातेदार आसामी को प्रदत्त समस्त अधिकारों का हकदार होगा तथा आरोपित समस्त दायित्वों के अधीन रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

ADMIN\Downloads\Rambabu ji fesla file Dava.docx

उपरोक्त के क्रम में ,इस प्रकरण में वादीगण जागीरदारी एक्ट की धारा 9 एवं आर. टी. एक्ट की धारा 15 के तहत खातेदार कृषक होना साबित होता है तथा तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार वादीगण का लगातार कब्जा काश्त रहा है। तथा माफी रिज्यूम होने से वादी को किसी प्रकार का ऋण आदि का लाभ नही मिल पा रहा है जिससें वादी को समस्याओं का सामना करना पड रहा है। अतः जमाबन्दी से माफी रिज्युमशन हटाया जाना न्यायाहित में आवश्यक है। वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम रीछडा तहसील छबडा के खाता संख्या 193 के खसरा नं. 228 रकबा 0.4679 हैक्टेयर, खसरा नं. 229 रकबा 3.6927 हैक्टेयर, खसरा नं. 230 रकबा 1.0749 हैक्टेयर कुल किता तीन रकबा 5.2355 हैक्टेयर भूमि में वादी के नाम से माफियात रिज्यूमशन शब्द को हटाने के आदेश दिए जाते हैं तथा खातेदार नंदकिशोर सिंह पुत्र रितूसिंह के हिस्से की भूमि 1/4 के हिस्से 1/2 में वादी क्रम 6 भव्य गेरा एवं हिस्से 1/2 में वादी क्रम 7 चंद्रप्रकाश गेरा के नाम नियमानुसार नामान्तरकरण खोलने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिए जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हों

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबडा (बारां)

...MBA\Downloads\Rambabu ji fesla file Dava.docx

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 126/24	धारा 88, 89,91ए आर टी एक्ट एवं 136 एल.आर.एक्ट	निर्णय दिनांकः– 01.10.2024
समक्ष : **श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां**		
उपस्थिति :अभिभाषकवादीः–श्री राकेश कुमार गालव	अभिभाषकप्रतिवादीः– पेरोकार सरकार	

वाद शीर्षक

उनवान

1. कुसुमलता पत्नी देवेन्द्र जाति महाजन निवासी छबडा
2. गोविन्द कुमार पुत्र सुरेश कुमार जाति धाकड निवासी छबडा
3. देवेन्द्र कुमार बंसल पुत्र मोहनलाल जाति महाजन निवासी छबडा
4. रजनी गेरा पत्नी चंद्रप्रकाश गेरा जाति खत्री निवासी छबडा
5. सरीता सिंघवी पत्नी अजय सिंघवी जाति महाजन निवासी छबडा
6. भव्य गेरा पुत्र चंद्रप्रकाश गेरा जाति पंजाबी निवासी छबडा
7. चंद्रप्रकाश गेरा पुत्र रमेशचंद गेरा जाति पंजाबी निवासी छबडा तहसील छबडा जिला बारां राज.

बनाम

1. सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम रीछडा तहसील छबडा के खाता संख्या 193 के खसरा नं. 228 रकबा 0.4679 हैक्टेयर, खसरा नं. 229 रकबा 3.6927 हैक्टेयर, खसरा नं. 230 रकबा 1.0749 हैक्टेयर कुल किता तीन रकबा 5.2355 हैक्टेयर भूमि में वादी के नाम से माफियात रिज्यूमशन शब्द को हटाने के आदेश दिए जाते हैं तथा खातेदार नंदकिशोर सिंह पुत्र रितूसिंह के हिस्से की भूमि 1/4 के हिस्से 1/2 में वादी क्रम 6 भव्य गेरा एवं हिस्से 1/2 में वादी क्रम 7 चंद्रप्रकाश गेरा के नाम नियमानुसार नामान्तरकरण खोलने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिए जाते है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 01.10.2024 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
छबडा जिला–बारां

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

	व्ययानुतोष		
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वदपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		